

प्रस्तुत किया प्रस्तुत दावा अंतर्गत धारा 188 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया, तथा प्रत्येक पत्र व रिपोर्ट रीडर का अवलोकन किया गया। प्रकल्प दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को साधारण व रजिड एडिड नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 20.07.2020 को पेश हो।

रजिस्ट्री नोटि  
1803-1811  
18/06/2022

सहायक कलक्टर  
आमेर मु. जयपुर

पत्रावली आज दिनांक 20/07/2020  
को पेश की डिस्ट्रिक्ट एड. बार एसो.  
जयपुर द्वारा क-ओलेन्सा की जाने से पत्रावली  
पूर्वानुसार दिनांक 13/07/2020 को पेश हो।

पत्रावली आज दिनांक 13/07/2020  
को पेश हुई। डि डिस्ट्रिक्ट एड. बार एसो.  
जयपुर द्वारा क-ओलेन्सा की जाने से पत्रावली  
पूर्वानुसार दिनांक 22/07/2020 को पेश हो।

17/8/2020 - पत्रावली आज वाकी 1 पक्षी का प्राप्तावली के  
अधिकतम से बेसीतर जार के मय ककलकनाम फेरा  
खेत्र पर पेश हुई वादी यह वर आगे कीर नही  
कलना वादी है प्राप्ता वादी सिद्ध सिद्धान का  
पक्षी वादी की पक्षान उरक फु व अधिकतम  
वारा की गडी  
अतः वादी मम ककीम हदसा पक्षुत वादी सिद्धा  
पक्षीना पत्र खीकल किया जाता है फावली जाम्बर  
से कम कर बाद कमीक वरठकपक है।

सहायक कलक्टर  
आमेर मु. जयपुर

